

गम जो इस
बर व ता
तामील में जारी

FORM NO. 3

फर्द अहकाम

अदालत.....उपखण्ड अधिकारी, मुकाम.....रामगढ शेखावाटी

ओमप्रकाशबनाम.....सीताराम आदि.....

अ. धारामु. न.04/17.....सन.....2017.....

तारिख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारिख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

20.02.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वयं अनुपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.02.2017 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। वकील प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 07 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने बाबत दिनांक 05.09.2017 को आदेशित किया गया था। प्रार्थी को कई मौके दिये गये तथा अन्त में वकील प्रार्थी को 500 रूपये की कोस्ट पर अवसर दिये जाने के बाद अप्रार्थी संख्या 07 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश किये, लेकिन वो भी अधुरे पते के कारण वापस लौट आये है। प्रार्थी द्वारा आदिनांक न्यायालय के आदेशो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. आ. 09 नियम 05 सीपीसी अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

